troduce open bidding for power projects giving price preference to indigenous power equipment manufacturers for award of contract and encourage power distribution by the private sector;

(c) if so, what are the details in respect of each proposal;

(d) what are the details of implications of the proposed power policy; and

(e) to what extent it is likley to encourage power distribution system by the private sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) No, Sir.

(b) The Private Power Development policy initiated by the Central Government does not preclude competitive bidding for award of power projects by State Electricity Boards.

(c) Several State Governments have assigned projects to private sector companies on the basis of bidding, these include Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh & others. As per present information Andhra Pradesh (APSEB) and DESU are currently in the midst of a bidding process for assigning projects to private sector companies.

(d) and (e) It is envisaged as a sequel to the present policy, substantial investment from the private sector would materialise, both for generation as well as for distribution of power.

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की ओर बकाया ऋणों का माफ किया जाना

5531. **श्री राम जेठमलानी :**
प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा :
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने फरवरी, 1994 में केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि लगभग 300 करोड़ रुपये के ऋण राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाये जिससे संस्थान इसे अदा करने की बाध्यता से मुक्त हो सके,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संस्थान द्वारा किये गये अनुरोध पर अब तक कोई निर्णय लिया है,

(ग) यदि हां, तो लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण है,

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा इससे पहले विगत में भी जब कभी भी इसके द्वारा इस आशय का अनुरोध किया गया, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बकाया ऋणों को बट्टे खाते डाला गया है,

(ङ) यदि हां, तो मार्च, 1994 तक सरकार द्वारा संस्थान की कुल कितनी ऋण धनराशि को बट्टे खाते डालकर माफ किया गया है,

(च) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को ऋणों को माफ करने से राज्य विद्युत बोर्डों के ऋणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) : 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के नाम बकाया सरकारी ऋण पर 297.42 करोड़ रुपये की संचयी ब्याज राशि को सरकार द्वारा सितम्बर, 1989 में माफ कर दिया गया था। यह निर्णय भी लिया गया था कि डेसू के नाम बकाया ऋण की मूल राशि 31-3-1989 को 1004.10 करोड़ रुपये थी तथा तत्पश्चात् लिए गए ऋणों को स्थायी वार्षिकी ऋणों के रूप में माना जायेगा। जिसकी 50 प्रतिशत राशि ब्याज मुक्त होगी। यह निर्णय सितम्बर, 1989 में सरकार द्वारा अनुमोदित डेसू के लिए वित्तीय सुधार योजना के एक अंग के रूप में वकती उपाय के रूप में लिया गया था।

(च) तथा (छ) : प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि डेसू के नाम और बकाया राशियों को माफ करने के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

विदेश वित्तीय सहायता से विद्युत परियोजनाएं

5532. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री बीरेन जे० शाह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 तक विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राप्त कुल कितनी विदेशी वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किया जा सका है जिस पर वचन-बद्धता प्रभार का भुगतान करना पड़ा है,

(ख) क्या देश में विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को विदेशी सहायता से प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब पूरा करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० एंगैया नायडू) : (क) विद्युत से संबंधित सभी परियोजनाओं की अनुमोदित विदेशी सहायता जिस पर वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान किया जाना था, मार्च, 1994 के अंत तक 31481.27 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) : विदेशी सहायता से स्थापित की जाने वाली 31 विद्युत उत्पादक परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेशी सहायता से स्थापित की जाने वाली 31 विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम/ क्षमता (मे० वा०)	वित्तपोषक एजेंसी	चालू किये जाने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
जल-विद्युत परियोजनाएं				
1.	अपर इन्द्रावती (4×150) उड़ीसा	आई० डी० ए० विश्व बैंक	1996-97	विश्व बैंक ऋण स्थगित
2.	कोयना चरण-4 (4×250) महाराष्ट्र	विश्व बैंक	1997-98	
3.	कालीनदी चरण-2 (3×40+ 3×50) कर्नाटक	विश्व बैंक	1996-97	ऋण रद्द
4.	शरावती टी०आर० (4×60) कर्नाटक	विश्व बैंक	1997-99	-वही-
5.	लोअर पैरियार (3×60) केरल	विश्व बैंक	1995-96	
6.	श्रीनगर (6×55) उ० प्र०	विश्व बैंक	1996-98	ऋण रद्द
7.	नाथपा झाकरी (6×250) हिमाचल प्रदेश	विश्व बैंक	1998-99	
8.	सरदार सरोवर (6×200+ 5×50) गुजरात	विश्व बैंक	1997-2000	ऋण स्वीकृत
9.	प० यमुना नहर (2×6) हरियाणा	ओईसीएफ	1996-97	
10.	घाटघर पीएसएस (2×125) महाराष्ट्र	ओईसीएफ	1999-2000	

1	2	3	4	5
11.	सरदार सरोवर (6×200+ 5×50) गुजरात	ओईसीएफ	1997-2000	ऋण स्वीकृत
12.	श्रीसेलम एलबीपीएच (6×150) आंध्र प्रदेश	ओईसीएफ	1996-99	
13.	पूर्वी गंडक नहर (3×5) बिहार	ओईसीएफ	1993-95	
14.	तीस्ता नहर फाल्स (3×3×7.5) प० बंगाल	ओईसीएफ	1995-97	
15.	लोअर कोपानी (2×50) असम	ओईसीएफ	1995-96	
16.	दुलहस्ती (3×130) जे० एंड के०	फ्रेंच	1996-97	
17.	उरी (4×120) जे० एंड के०	स्वीडन	1996-97	
ताप विद्युत परियोजनाएं				
1.	अनपारा ''सी'' (2×500) उत्तर प्रदेश	ओईसीएफ	8/94	
2.	रायचूर-4 (1×210) कर्नाटक	ओईसीएफ	9/94	
3.	बेसिन ब्रिज जीटी (4×30) तमिलनाडु	ओईसीएफ	2/95-5/95	
4.	कैथलगुड़ी सीसीजीटी (6×33.4+3×30) असम	ओईसीएफ	11/94-3/96	
5.	गंधार गैस आधारित चरण-I (3×131 जीटी+1×255 एसटी) गुजरात	ओईसीएफ	9/95	
6.	उराण डब्ल्यू० एच० आर० पी० (2×120 मे० वा०) महाराष्ट्र	जर्मनी	7/94	
7.	कहलगांव (4×210) बिहार	यूएसएसआर	3/96	
8.	रायलसीमा (2×220) आंध्र प्रदेश	एडीबी	8/94	
9.	उत्तरी मद्रास (2×210) एवं (1×210) तमिलनाडु	एडीबी	6/94-4/95	
10.	बज-बज (2×250) प० बंगाल	एडीबी/आईएफसी/ सीडीसी/सप्लायर्स क्रेडिट	6/96-12/96	
11.	चन्द्रपुर-7 (1×500) महाराष्ट्र	विश्व बैंक	1997-98	
12.	दहानू (2×250) बिहार	विश्व बैंक	7/94-1/94	
13.	ट्राम्बे सीसीटीपीपी (180) महाराष्ट्र	आईबीआरडी सीएचएफ	8/94	
14.	तलचेर चरण-1 (2×500) उड़ीसा	विश्व बैंक	5/94-5/95	